रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238832
CG-DL-E-15092022-238832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]	**नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944**
No. 616]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 696(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, कांस्टेबल (ट्रेड्समैन), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में ट्रेड्समैन काडर (योधक, अराजपत्रित) समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, ट्रेड्समैन काडर (योधक, अराजपत्रित) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना -** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएँ, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **आरंभिक गठन** – ऐसे कार्मिक, जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को नियमित आधार पर धारण किये हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले संबंधित श्रेणी में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कार्मिकों की नियमित निरंतर सेवा को, परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, सेवा में पुष्टि और पेंशन में गिना जाएगा।

6. **निरर्हता** – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** - इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती चिकित्सा परीक्षाओं के लिए तारीख 20 मई , 2015 और गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग दर्शन के अनुसार है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

8. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **भारत के गैर-नागरिकों की अपात्रता-** कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमति के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि इस नियम मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बल में नेपाल या भूटान के प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को विवर्जित किया जायेगा।

10. **अधिवर्षिता** - (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जो उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है या जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर विहित किये गए अनुसार सेवानिर्वित होगा:

परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह को साठ वर्ष की आयु पूरी करने पर, सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

11. **ज्येष्ठता सूची की रखरखाव** - (1) बल स्तर पर कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) या हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की समेकित केंद्रीय ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी।

(2) उच्च रैंक धारण करने वाले कार्मिक चाहे वह स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में हों, निम्नतर रैंक धारण करने वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

(3) रैंक में ज्येष्ठता उस पद में निरंतर सेवा के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(4) समान रैंक धारण करने वाले कार्मिकों के एक ही दिन प्रोन्नत होने पर उन कार्मिकों की ज्येष्ठता, उस पद पर नियुक्ति के चयन क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

12. **सेवा का दायित्व** - इन नियमों के अधीन किसी भी श्रेणी के पदों पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य, रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14. **निर्वचन -** इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध मे यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसे केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो उस पर विनिश्चय करेगी।

अनुसूची

पद का नामः	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
1. **हैड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन):** (i) हैड कांस्टेबल (मोची) - 166 (ii) हैड कांस्टेबल (दर्जी) - 104 (iii) हैड कांस्टेबल (बढ़ई) - 55 (iv) हैड कांस्टेबल (रसोइया) - 1669 (v) हैड कांस्टेबल (जल वाहक) - 865 (vi) हैड कांस्टेबल (धोबी) - 798 (vii) हैड कांस्टेबल (नाई) - 411 (viii) हैड कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) -1062 (ix) हैड कांस्टेबल (प्लम्बर) - 04 (x) हैड कांस्टेबल (पेंटर) - 04 (xi) हैड कांस्टेबल (इलेक्ट्रीशियन) - 04 (xii) हैड कांस्टेबल (ड्राफ्ट्समैन) - 02 (xiii) हैड कांस्टेबल (वेटर) - 40 (xiv) हैड कांस्टेबल (माली) - 07 (xv) हैड कांस्टेबल (खोजी) / साइस - 09 **कुल** - 5200	5200* (2022) (*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित , अननुसचिवीय (योधक) ।

वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर -4 (रु. 25,500 - 81,100/-)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा ।	वेतन मेट्रिक्स (रु. 21700- 69100 /-) के स्तर -3 में ऐसे कांस्टेबल (ट्रेड्समैन)

	जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें से मोची, दर्जी, बढ़ई, रसोइया, जल वाहक, वेटर, धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी (केवल संबंधित ट्रेडो के लिए) ट्रेड्स की बाबत ड्यूटी बटालियन में पांच वर्ष की सेवा हो, और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों प्रोन्नति में से, - (क) (i) जिन्होंने प्रवेश स्तर के पद के लिए निर्धारित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो; (ii) जिन्होंने महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर विहित किए अनुसार प्रोन्नति पूर्व या प्रोन्नति कोर्स उत्तीर्ण किए हों ; और (ख) जो चिकित्सा प्रवर्ग "शेप- I में हो " **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो I

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा I
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष; 2. सेकेण्ड-इन-कमांड, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य ; 3. सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल - सदस्य I	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
2. कांस्टेबल (ट्रेड्समैन): (i) कांस्टेबल (मोची) - 502 (ii) कांस्टेबल (दर्जी) - 314 (iii) कांस्टेबल (बढ़ई) - 173 (iv) कांस्टेबल (रसोइया) - 5111 (v) कांस्टेबल (जल वाहक) - 2649 (vi) कांस्टेबल (धोबी) - 2447 (vii) कांस्टेबल (नाई) - 1262 (viii) कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) - 3254 (ix) कांस्टेबल (प्लम्बर) - 18	15,933* (2022) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित , अननुसचिवीय (योधक)

(x) कांस्टेबल (पेंटर) - 15 (xi) कांस्टेबल (इलेक्ट्रीशियन) - 12 (xii) कांस्टेबल (ड्राफ्ट्समैन) - 07 (xiii) कांस्टेबल (वेटर) - 118 (xiv) कांस्टेबल (माली) - 21 (xv) कांस्टेबल (खोजी) / साइस - 26 (xvi) कांस्टेबल (पंप ऑपरेटर) - 01 (xvii) कांस्टेबल (अपहोल्स्टर) - 01 (xviii) कांस्टेबल (टिन स्मिथ) - 01 (xix) कांस्टेबल (कसाई) - 01 कुल 15933		

(4)	(5)	(6)
स्तर-3 (रुपये 21700 - 69100/-)	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों तथा भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार होगी। अन्य भर्ती की दशा में , आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)
(I) शैक्षणिक अर्हताएँ: (1) कांस्टेबल (बढ़ई), कांस्टेबल (प्लम्बर), कांस्टेबल (पेंटर), कांस्टेबल (इलेक्ट्रीशियन), कांस्टेबल (पंप ऑपरेटर), कांस्टेबल (ड्राफ्ट्समैन), कांस्टेबल (अपहोल्स्टर) और कांस्टेबल (टिनस्मिथ) ट्रेड के लिए - (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य हो; (ख) (i) संबंधित ट्रेड या उसी प्रकार के ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्ष के कोर्स का प्रमाण पत्र; या (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के साथ संबंधित ट्रेड में कम से कम एक वर्ष का अनुभव । (2) कांस्टेबल (मोची), कांस्टेबल (दर्जी), कांस्टेबल (धोबी), कांस्टेबल (नाई), कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी), कांस्टेबल (माली), कांस्टेबल (खोजी /साइस)	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष।

ट्रेड के लिए :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य हो ;

(ख) संबंधित ट्रेड में निपुण हो ;

(ग) भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण हो ।

टिप्पण : बहु-कुशल अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

(3) कांस्टेबल (रसोईया), कांस्टेबल (जल वाहक), कांस्टेबल (वेटर) और कांस्टेबल (कसाई) ट्रेड के लिए: -

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य हो;

(ख) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से खाद्य उत्पादन या रसोई में राष्ट्रीय कौशल अर्हताएँ फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) स्तर- I पाठ्यक्रम।

(ii) शारीरिक मापदंड: -

शारीरिक मापदंड	पुरूष के लिए		महिला के लिए	
	ऊंचाई	सीना	ऊंचाई	सीना
सभी अभ्यर्थियों के लिए (नीचे उल्लिखित को छोड़कर)	165 से.मी.	75-80 से.मी.	155 से.मी.	लागू नहीं होता।
शिथलीकरण:				
निम्न पैरा में दिए गए को छोड़कर सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या जिलों के अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई।	160 से.मी.	75-80 से.मी.	148 से.मी.	लागू नहीं होता।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	158 से.मी.	75-80 से.मी.	147 से.मी.	लागू नहीं होता।
पूर्वोत्तर राज्यों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	155 से.मी.	75-80 से.मी.	147 से.मी.	लागू नहीं होता।
गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले सभी अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई।	162.5 से.मी.	75-80 से.मी.	152 से.मी.	लागू नहीं होता।
पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल	160	75-80	150	लागू

प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	से.मी.	से.मी.	से.मी.	नहीं होता।		
गोरखा राज्य क्षेत्र प्रशासन (जीटीए) से आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-खंड अर्थात दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सेओंग एवं इन जिलों के निम्नलिखित "मौजाज" उप-खंड शामिल हैं: - (1) लोहागढ़ चाय बगान (2) लोहागढ़ वनक्षेत्र (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वनक्षेत्र (9) सुकना भाग-I (10) पंतापती वनक्षेत्र-I (11) महानदी वनक्षेत्र (12) चंम्पासारी वनक्षेत्र (13) सालबारी छाट भाग-II (14) सीतोंग वनक्षेत्र (15) सीवोके पहाड़ी वनक्षेत्र (16) सीवोके वनक्षेत्र (17) छोटा चेंगा (18) नीपानिया	155 से.मी.	75-80 से.मी.	150 से.मी.	लागू नहीं होता।		
वजन- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल-2015 में भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए समान मार्गदर्शन मे विहित ऊंचाई-वजन चार्ट के मापदंड के अनुसार हो। **(III) चिकित्सा मानक:** (क) दृष्टि: बिना किसी संशुद्धि के न्यूनतम दूर दृष्टि अर्थात चश्मे के बिना या चश्मे के सहित एक आँख मे 6/6 और दूसरी आँख मे 6/9 होना चाहिए I; (ख) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, वैरिकाज नस या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए, ऊँचे दर्जे की रंग दृष्टि सीपी III मानक के अनुसार होनी चाहिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि दक्षतापूर्वक कार्यसंपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (IV) अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।						

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की रैंक पर महिला अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
(1) समूह 'ग' विभागीय चयन समिति (चयन के सम्बन्ध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - 1. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष 2. दो उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य 3. एक चिकित्सा अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य **(2) समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : -** 1. कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. सी-17/04/2020/ कार्मिक/सीसुबल]

पी एस डंगवाल, उप सचिव (कार्मिक -I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

G. S. R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of the Border Security force, Constable (Tradesman), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010 except things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Tradesman Cadre(Combatised, Non-Gazetted) Group 'C' Posts in Border Security Force, namely:-

1. **Short title and commencement.- (1**) These rules may be called the Border Security Force, Tradesman Cadre(Combatised, Non-Gazetted) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment of the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in Columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

5. Initial Constitution (1) Personnel holding the posts specified in the Column (1) of said Schedule, immediately before the commencement of these rules on the regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred in sub-rule (1) in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

6. Disqualification – No person, -

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Medical Fitness.-Notwithstanding anything contained in these rules, those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Ministry of Home Affairs Guidelines for recruitment Medical examinations in Central Armed Police Forces and Assam Rifles dated the 20th May, 2015 and further instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

8. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Ineligibility of non-citizens of India- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Superannuation.- (1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.

11. Maintenance of seniority.- (1) The consolidated Central Seniority list of Constable (Tradesman) or Head Constable (Tradesman) shall be maintained at Force level.

(2) Personnel holding a higher rank whether in an officiating or substantive capacity shall be senior to the persons holding a lower rank.

(3) Seniority in the rank shall be determined on the basis of continuous service in that rank.

(4) The seniority of the personnel holding the same rank and promoted on the same day shall be determined in accordance with the order of selection of appointment of the post.

12. Liability of Service. - Any person appointed to any category of posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide as same.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.Head Constable (Tradesman): (i) Head Constable (Cobbler) - 166 (ii) Head Constable (Tailor) - 104 (iii) Head Constable (Carpenter) - 55 (iv) Head Constable (Cook) -1669 (v) Head Constable (Water Carrier) - 865 (vi) Head Constable (Washer Man) - 798 (vii) Head Constable (Barber) - 411 (viii) Head Constable (Sweeper) -1062 (ix) Head Constable (Plumber) - 04 (x) Head Constable (Painter) - 04 (xi) Head Constable (Electrician) - 04 (xii) Head Constable (Draughtsman) - 02 (xiii) Head Constable (Waiter) - 40 (xiv) Head Constable (Mali) - 07 (xv) Head Constable (Khoji)/Syce - 09 **Total 5200**	5200* **(2022)** (* Subject to variation dependent on work load)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).

Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	**(6)**
Level-4 (Rs. 25,500 - 81,100/-).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method or recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion.	Promotion from amongst Constable (Tradesmen) in level-3 (Rs. 21700-69100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade out of

	which five years service in a duty Battalion in respect of trades of Cobbler, Tailor, Carpenter, Cook, Water Carrier, Waiter, Washer man, Barber and Sweeper (for the respective trades only) and possessing the following qualifications,- (a) (i) have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed for entry level post; (ii) have qualified pre-promotional or promotional course as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time; and (b) Medical category "SHAPE-I". Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Commandant, Border Security Force - Chairperson; 2. Second-In-Command Border Security Force - Member; 3. Assistant Commandant Border Security Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
2.Constable (Tradesman): (i) Constable (Cobbler) - 502 (ii) Constable (Tailor) - 314 (iii) Constable (Carpenter) - 173 (iv) Constable (Cook) - 5111 (v) Constable (Water Carrier) - 2649 (vi) Constable (Washer Man) - 2447 (vii) Constable (Barber) - 1262 (viii) Constable (Sweeper) - 3254 (ix) Constable (Plumber) - 18 (x) Constable (Painter) - 15 (xi) Constable (Electrician) - 12 (xii) Constable (Draughtsman) - 07 (xiii) Constable (Waiter) - 118 (xiv) Constable (Mali) - 21 (xv) Constable (Khoji)/Syce - 26 (xvi) Constable (Pump Operator)- 01 (xvii) Constable (Upholster) - 01 (xviii) Constable (Tin Smith) - 01 (xix) Constable (Butcher) - 01 **Total 15933**	15,933* **(2022)** *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).

(4)	(5)	**(6)**
Level-3 (Rs 21700 – 69100/-).	Not applicable.	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance

		with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** In case of recruitment through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. In case of other recruitment, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

(7)	(8)	(9)
(I) Education qualifications: (1) For trades of Constable (Carpenter), Constable (Plumber), Constable (Painter), Constable (Electrician), Constable (Pump Operator), Constable (Draughtsman), Constable (Upholster) and Constable (Tinsmith),- (a) Matriculation or equivalent from a recognised Board; (b) (i) two years certificate course from Industrial Training Institute in the trade or similar trade; **OR** (ii) one year certificate course from Industrial Training Institute or Government affiliated Vocational Institute with at least one year experience in the trade. (2) For trades of Constable (Cobbler), Constable (Tailor), Constable (Washerman), Constable (Barber), Constable (Sweeper), Constable(Mali), Constable (Khoji/Syce),- (a) Matriculation or equivalent from a recognised Board; (b) Must be proficient in respective trade; (c) Must qualify trade test in the respective trade conducted by recruitment board. **Note**: Multi-skilled candidates will be given preference. (3) For the trades of Constable (Cook), Constable (Water Carrier),Constable (Waiter) and Constable (Butcher),- (a) Matriculation or equivalent from a recognised Board; (b) National Skills Qualifications Framework (NSQF) level-I Course in food production or Kitchen from National Skill Development Corporation or from the Institutes recognised by National Skill Development Corporation.	Not applicable.	Two years.
(II) Physical Standards :-		

Physical Standards	For Male		For Female	
	Height	**Chest**	**Height**	**Chest**
For all candidates (except those mentioned below)	165 Cms	75-80 Cms	155 Cms	Not applicable
Relaxations:				
Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes categories of all States	160 Cms	75-80 Cms	148 Cms	Not applicable

or Union Territories or Districts except as given in the following para.						
Minimum Height for all Scheduled Tribe candidates hailing from the LWE affected district	158 Cms	75-80 Cms	147 Cms	Not applicable		
Minimum Height for all Scheduled Tribe candidates hailing from the North Eastern States	155 Cms	75-80 Cms	147 Cms	Not applicable		
Minimum height for all candidates falling in the categories of Garwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.	162.5 Cms	75-80 Cms	152 Cms	Not applicable		
Minimum height for all candidates hailing from the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura	160 Cms	75-80 Cms	150 Cms	Not applicable		
Minimum Height for all candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Divisions of Darjeeling District namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following "Mouzas" Sub Division of these Districts :- (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3)Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9)Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-I (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania.	155 Cms	75-80 Cms	150 Cms	Not applicable		
Weight. As per standard height-weight chart prescribed in the Uniform Guidelines for Medical Examination Test Recruitment in Central Armed						

Police Forces, National Security Guard and Assam Rifle-2015. **(III) Medical Standards :** (a) Vision : Minimum distant vision shall be 6/6 in one eye and 6/9 in other eye without correction i.e. without wearing spectacles or lenses; (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess colour perception standard CP.III and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. (IV) The candidates must qualify the physical efficiency test, Physical Standard Test, Medical examination and written test.		

(10)	(11)
By direct recruitment. **Note :** The number of vacancies for induction of female candidates in the rank of Constable(Tradesman) will be calculated on year to year basis by the Director General Border Security Force on functional requirement basis.	Not applicable.

(12)	**(13)**
(1) Group 'C' Departmental Selection Board (for considering selection) consisting of:- 1. Commandant, Border Security Force - Chairman; 2. Two Deputy Commandants or Assistant Commandant, Border Security Force - Member; 3. One Medical Officer Border Security Force - Member. **(2) Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Commandant, Border Security Force - Chairman; 2. Deputy Commandant, Border Security Force - Member; 3. Assistant Commandant Border Security Force - Member.	Not applicable.

[F. No. C-17/04/2020/Pers/BSF]

P S DANGWAL, Dy. Secy. (Pers-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.15 16:37:05 +05'30'